बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 127/आ/921 पटना, दिनांक 14.08.19

सं0 सं0–05/उ0 नि0 ब0 (आवंटन) 08/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (लेखा),
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :– **मुख्य शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–104–हस्तशिल्प उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0001–हस्तशिल्प का विकास एवं शिल्प अनुसंधान संस्थान, विपत्र कोड– 23-2851.00.104.0001 के अधीन उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना की मूल एवं अधीनस्थ योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिबद्ध व्यय हेतु वर्ष 2018–19 में रू0 20,23,415/– (बीस लाख तेईस हजार चार सौ पन्द्रह रूपये) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में **उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना** की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिबद्ध व्यय हेतु कुल **रू0 20,23,415/– (बीस लाख तेईस हजार चार सौ पन्द्रह रूपये) मात्र** का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19, में आय–व्ययक शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–104–हस्तशिल्प उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0001–हस्तशिल्प का विकास एवं शिल्प अनुसंधान संस्थान, विपत्र कोड–23-2851.00.104.0001 एवं इसके अन्तर्गत विभागीय पत्रांक–1393, दिनांक–08.03.19 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से उपबंधित राशि से विकलित होगा। राशि का मदवार वितरण निम्नवत् होगा :–

क्र.	योजना का नाम	मदवार आवंटित राशि (रू0)			
		चिकित्सा प्रतिपूर्ति 0001.06.01	यात्रा भत्ता 0001.11.01	वर्दी/पोशाक 0001.13.06	योग
1	2	3	4	5	6
1	मूल योजना, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना	1773415	175000	45000	1993415
2	विस्तार योजना, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना	0	25000	0	25000
3	क्रय–विक्रय योजना, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना	0	0	5000	5000
4	**योग**	**1773415**	**200000**	**50000**	**2023415**

3 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

कृ0पृ0उ0

राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :–

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।

(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 एवं मासिक CTMIS प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(च) 2018–19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 25 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 127/31/92-1 पटना, दिनांक 14.03.19

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 127/31/92-1 पटना, दिनांक 14.03.19

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0–डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा–05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ईमेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।